



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर-9
वृन्दावन योजना लखनऊ।



पंजीकृत

पत्रांक

/.....एन्क्लेव/फ्लैट संख्या «Flat_No»

दिनांक

अगन्तिम

प्रदेशन-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु० _____
«Father_Husband_Name» _____

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-..... के सेक्टर-..... में बहुमजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत एन्क्लेव में निम्न विवरण के अनुसार आपके पक्ष में परिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन फ्लैट आवंटित किया गया है:-

क-आवंटित सम्पत्ति का विवरण

- 1- आवंटित फ्लैट की संख्या/श्रेणी
- 2- चालान संख्या
- 3- आवंटन/द्वा की तिथि
- 4- फ्लैट का वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल
- 5- फ्लैट का सुपर एरिया

ख- सम्पत्ति का कुल मूल्य

- 1- फ्लैट का निर्माण मूल्य
- 2- फ्लैट (क्षेत्रफल «Land_Area» वर्गमी० व भूमि दर रू० «Land_Rate».00 का 1.5 Basic प्रॉवि०मी०) की भूमि का 12% फी-होल्ड शुल्क सहित मूल्य
- 3- लोकेशन चार्ज (प्रथम से तृतीय तल तक)
कुल मूल्य

ग- जमा धनराशि का विवरण

- 1- पंजीकरण धनराशि
- 2- किश्तों के विरुद्ध जमा धनराशि
- 3- पूर्व में 60 दिनों के अन्दर भुगतान पर देय 2% की छूट की धनराशि
- 4- परिषद कर्मचारी की 5% की छूट की धनराशि
- 4- कुल जमा धनराशि
- 4- दण्ड ब्याज के विरुद्ध समायोजित की गयी धनराशि
- 5- दण्ड ब्याज समायोजित करने के उपरान्त किश्तों के विरुद्ध जमा धनराशि
- 6- दण्ड ब्याज के विरुद्ध असमायोजित धनराशि
शुद्ध देय धनराशि रूपया _____ जो दिनांक _____ तक एच०डी०एफ०सी० बैंक/आईसी०आई०सी०आई० बैंक की किसी भी शाखा में अपनी यूनिक आई०डी०आई-चालान पर जमा कर रसीद प्रस्तुत करे।

क्रमशः.....2 पर

घ- विविध शुल्क

- अ- हरे रंग के चालान में जमा की जाने वाली धनराशि:
(विविध शुल्क के मद् में दिनांक ----- तक एच0डी0एफ0सी0 बैंक/आईसी0आई0सी0आई0 बैंक की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई0डी0ई-चालान पर जमा की जाने वाली धनराशि।
- 1- विक्रय विलेख शुल्क
 - 2- साइट प्लान शुल्क
 - 3- अन्य शुल्क/विज्ञापन व्यय
 - 4- पुर्नजीवन शुल्क
 - 5- परिवर्तन शुल्क
 - 6- कवर्ड कार पार्किंग चार्ज
 - 7- प्रिपेड मीटरिंग के मद् में
विविध शुल्क मद् में जमा की जाने वाली कुल धनराशि
- ब- विविध शुल्क मद् में जमा की जाने वाली कुल धनराशि पर
जी0एस0टी0(लाल पर्ची) की देयता विविध शुल्क की धनराशि
का 18 प्रतिशत एच0डी0एफ0सी0 बैंक/आईसी0आई0सी0आई0 बैंक
की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई0डी0ई-चालान पर जमा की
जाने वाली धनराशि ।
- स- जी0एस0टी0(लाल पर्ची) की देयता शुद्ध देय धनराशि का 12 प्रतिशत
एच0डी0एफ0सी0 बैंक/आईसी0आई0सी0आई0 बैंक की किसी भी
शाखा में अपनी यूनिट आई0डी0ई-चालान पर जमा की जाने वाली
धनराशि
- द- अध्यक्ष, हिमालय एन्क्लेव एपार्टमेंट ऑनर्स वेलफेयर एण्ड मेन्टीनेन्स एसोसियेशन
स्वाता संख्या:- 30020100009019 बैंक ऑफ बडौदा, एल्डिको हाईवे प्लाजा,
ब्लाक डी-, उद्यान-2, (सरदार पटेल डेन्टल कालेज के सामने) रायबरेली रोड,
लखनऊ में जमा की जाने वाली धनराशि
- 1- रख रखाव शुल्क (एक माह का) रु० 1.10 प्रति वर्ग फुट प्रति माह (तीन माह का)
 - 2- कार्पस फण्ड
 - 3- आजीवन सदस्यता शुल्क

कुल धनराशि

सम्पत्ति प्रबन्धक

कृते आवास आवुक्त

वॉकित औपचारिकताएँ पूर्ण करने की अन्तिम तिथि है।

दिनांक तक पूर्ण की जाने वाली निम्नलिखित औपचारिकताओं के पूर्ण न होने एवं कब्जा प्राप्त न किये जाने की दशा में रु० 75.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

- 1- पंजीकरण हेतु जमा धनराशि की चालान की धतुर्घं प्रति मूल रूप में जमा करें।
- 2- रु० 10/- का नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आश्वासन पत्र हेतु जमा करें।
- 3- राजपत्रित अधिकारी से दो अलग- अलग सादे कागज पर फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जिस पर प्रमाणित कर्ता अधिकारी के नाम एवं पदनाम की स्पष्ट मुहर अंकित हो प्रारूप नीचे अंकित है एवं 05 नग पासपोर्ट साइज फोटोयाक।
- 4- आवटित फ्लैट के विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु रु० (महिला आबंटी होने की दशा में रु० 10000.00 के स्टाम्प घटाते हुए) के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ से अथवा ई0-स्टैम्प स्थंय के नाम से क्रय कर तथा रु० 100/- का अतिरिक्त स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर शासनदेश के क्रम में परिवर्तनीय हैं।

क्रमांक-3 के लिए प्रारूप-फोटो एवं हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने हेतु (दो नग)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी

को मैं मली-भाति जानता व पहचानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा नीचे प्रमाणित किये जाते हैं।

- 1 हस्ताक्षर
- 2 हस्ताक्षर

फोटो
चिपकाये

क्रमशः.....3 पर

आवश्यक निर्देश

- 1- किसी भी दशा में सूचित तिथि के बाद धनराशि के भुगतान किये जाने पर 13.5 % वार्षिक की दर से विलम्ब अवधि का अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
 - 2- न्यायालय के आदेश से भूमि प्रतिकर के वृद्धि अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।
 - 3- संलग्न निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा न करने, पर वॉकित औपचारिकताओं पूर्ण न करने के कारण अथवा निर्धारित तिथि तक औपचारिकताएँ (समस्त प्रपत्र) कार्यालय में जमा न करने की दशा में ₹0 75. 00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
 - 4- स्व वित्त पोषित योजना की पंजीकरण पुस्तिका में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (MO) का निर्णय मान्य होगा।
 - 5- समयान्तर्गत भुगतान न करने की दशा में स्टैम्प ड्युटी परिवर्तिनीय है।
 - 6- अंकेक्षण के समय कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, तो तदनुसार लागू होगी।
- हिमालय एन्क्लेव में की गई व्यवस्थाओं का विवरण**
- 1- एन्क्लेव के रख-रखाव का कार्य सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जे की तिथि से दो वर्ष तक परिषद द्वारा कराया जायेगा, तत्पश्चात रख-रखाव का कार्य रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।
 - 2- प्रत्येक आवंटी को रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी की आजीवन सदस्यता लिया जाना अनिवार्य है। अन्य नियम, शर्त एवं व्यवस्था व संचालन का विवरण एपीमेन्ट में उल्लिखित है।
 - 3- 30प्र0 पावर कार्पोरेशन की नई व्यवस्था के अनुसार बहुमंजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत निर्मित सभी फ्लैट में विद्युत संयोजन एक ही बिन्दु पर किया जा रहा है। इस हेतु प्री-पेड मीटर की व्यवस्था की गई है जिसके लिए आवश्यक जमानत धनराशि का भुगतान 30प्र0 पावर कार्पोरेशन को कर दिया गया है। आवंटी को विद्युत कनेक्शन परिषद द्वारा दिया जायेगा। सिक्योरिटी की धनराशि रिफण्डेबुल होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्री-पेड मीटर के मैन्चूफैक्चरिंग की गारन्टी प्रथम आवंटी के भौतिक कब्जा की तिथि से दो साल तक होगी तत्पश्चात रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रख-रखाव किया जायेगा।
 - 4- उक्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त विद्युत प्रवाहित करने हेतु कम से कम ₹0 1000.00 का रिचार्ज कूपन हिमालय एन्क्लेव में स्थिति वेण्डिंग स्टेशन से लेना होगा। इसके पश्चात समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवंटी को रिचार्ज कूपन क्रय करते हुए विद्युत का उपभोग किया जायेगा। प्री-पेड मीटर में रिचार्ज धनराशि एवं विद्युत उपभोग की सूचनाएँ होम डिस्पले यूनिट पर देखी जा सकेंगी। पूर्ण नियम एवं शर्त तथा उपयोग करने की प्रक्रिया विद्युत एपीमेन्ट में उल्लिखित है।
 - 5- प्रत्येक आवंटी को आवंटित कर्वड कार पार्किंग की नम्बरिंग करा दी गयी है जिसकी संख्या वही होगी जो आवंटित फ्लैट की संख्या है। जिसमें आवंटी अपना वाहन खड़ा कर सकेंगी।
 - 6- जनरेटर द्वारा निर्धारित पावर बैकअप का प्राविधान किया गया जिसके चार्ज अधिशासी अभियन्ता/समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसका समायोजन प्रीपेड मीटर में स्वतः ही समायोजन हो जाने का प्राविधान किया गया है।
 - 7- विद्युत एवं जल का उपभोग आवश्यकतानुसार न्यूनतम किया जाना देश हित में होगा।

वृन्दावन योजना, लखनऊ में आवंटित फलैट/भवन/भूखण्ड की किरतों एवं अन्य शुल्क का भुगतान आनलाइन एवं ई-चालान (आफ लाइन) के माध्यम से आवंटी स्वयं अथवा अपने जनपद के किसी कम्प्यूटर सेंटर या साईबर कैंफे से कर सकते हैं।

विवरण निम्नवत है :

- ❖ वर्तमान में एचडीएफसी बैंक एवं आई०सी०आई०सी०आई० बैंक आनलाइन/ऑफ लाइन के लिये अधिकृत है।
- ❖ अब आप बैंक में जाकर पीली/हरी/लाल पर्ची भरकर धनराशि जमा नहीं कर सकते हैं। किशत व अन्य धनराशि का भुगतान केवल परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर दिये गये विकल्प के माध्यम से ही किया जा सकता है। भुगतान करने के लिये परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर नीचे की ओर दिये गये विकल्प View Ledger and Online Payment एवं Generate E- Challan पर Click करके कर सकते हैं।

1. **View Ledger and Online Payment:-**

- विकल्प पर Click करने के उपरान्त प्रदर्शित Register एवं Login में से सर्वप्रथम Register विकल्प को चुनते हुए अपने को Register करना होगा। Register करने के लिये पूछे जाने वाला विवरण आपको निर्गत मांग-पत्र/प्रदेशन-पत्र पर अंकित है।
- विवरण को सफलतापूर्वक अंकित करने के उपरान्त Save पर Click करते ही आपके पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर Login Id एवं Password आ जायेगा। तत्पश्चात Login पर Click करके मोबाईल/ई-मेल पर प्राप्त Login Id एवं Password को अंकित करते हुए Login करना होगा।
- Login करते ही मोबाईल नम्बर सत्यापन के लिए एक ओटीपीओ आपके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर आयेगा, जिसे अंकित करते हुए सत्यापन करना होगा।
- मोबाईल नम्बर सत्यापन के बाद पुन Login Id एवं Password को अंकित करते हुए Login करने पर आपको अपना मौजूदा Password को बदलना होगा (उदाहरण:- Lucknow@1234)। अब आप Login कर सकते हैं।
- किशत व अन्य शुल्क का भुगतान (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से कर सकते हैं, जो स्वतः लेजर में अंकित हो जायेगी। लेन-देन प्रक्रिया, बकाया धनराशि की जानकारी आदि का विकल्प भी मौजूद है।

2. **Generate E-Challan:-**

- Generate E-Challan का विकल्प उन आवंटियों के लिए है जो बिना Login किये धनराशि का भुगतान करना चाहते हैं। आवंटी Generate E-Challan पर Click करने के उपरान्त प्रदर्शित Installment/Tax Payment या Miscellaneous Charges (जिस मद में धनराशि जमा करना हो) पर Click करें।
- Installment/Tax Payment के मद में जमा होने वाली धनराशि के लिए पर पूछे जाने वाला क्रमांक 01 से 8 तक का विवरण आपके मांग-पत्र/प्रदेशन-पत्र पर अंकित है, क्रमांक 9 पर जिस मद में धनराशि (Installment या Tax) में जमा करना है उसे Select करना है। तदुपरान्त क्रमांक 10 पर प्रदर्शित बैंक में से एक का चयन करते हुए क्रमांक 11 पर प्रदर्शित (DD/Cash, RTGS) का चयन करते हुए Generate E-Challan पर Click करें।
- Miscellaneous Charges के मद में जमा होने वाली धनराशि के लिए पर पूछे जाने वाले विवरण को अंकित करते हुए Proceed पर Click करें, एवं प्रदर्शित धनराशि के मद जो (मांग-पत्र/प्रदेशन-पत्र) पर अंकित है को भरते हुए Save and Proceed for Payment पर Click करें। बैंक एवं प्रदर्शित (DD/Cash, RTGS) का चयन करते हुए Pay Now पर Click करें।

नोट—यह चालान केवल एक बार के लिए ही मान्य होगा। आगामी किशत व अन्य धनराशि के भुगतान के लिए आपको पुनः चालान Generate करना होगा। यदि चालान RTGS का चयन करते हुए बनाया गया है तो आवंटी उसे अपने बैंक शाखा में ले जाकर भुगतान कर सकता है, अथवा DD/Cash की स्थिति में जिस बैंक का चयन आपने किया है, उस बैंक की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

अब आपको अपनी जमा धनराशि की रसीद परिषद में लेकर आने एवं उसे लेजर पर Entry करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही पोर्टल पर ग्राहक, बैंक एवं परिषद तीनों जुड़े रहेंगे।

हेल्पलाइन नम्बर

8896365183 (श्री पीरज), 9519919111 अब्दुल अजीज